

## अल्पकालीन निविदा सूचना

(Annex)

इस कार्यालय की पूर्व प्रकाशित निविदा सं0-398 दिनांक-09 जून 2020 के द्वारा अन्य निविदाओं के साथ निम्न निविदाओं के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जो पूर्ण नहीं पाई गई। पुनः निम्न शुल्कों की वसूली हेतु निविदा दो लिफाफा प्रणाली (प्रथम तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय) के तहत शीलबन्द निविदायें उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.20 को कार्यालय समय तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक-24.6.20 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद कार्यालय समय तक खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता सोसियल डिस्टेंसिंग का मानक अनुपालन करते हुए उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें जनपद की वेबसाइट <http://chamoli.nic.in> में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा/डाउनलोड की जा सकती है। शेष शर्तें पूर्वत रहेंगी:-

क्र0 स0	शुल्क का विवरण	अवधि	निविदा शुल्क	जमानत राशि
1	<b>पार्किंग शुल्क</b> 1-गोपेश्वर क्षेत्र (नया बस अड्डा/ मुख्य बस अड्डा/ हल्दापानी पार्किंग) 2-नैगवाड़ क्षेत्र 3-चमोली क्षेत्र (रैन बसेरा भवन एवं अलकनन्दा घाट पार्किंग)	01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक	1000.00	20000.00
2	तहबजारी शुल्क	---	500.00	10000.00
	शर्तें:-तकनीकी लिफाफा	---	500.00	10000.00

शर्तें:-तकनीकी लिफाफा

- 1-टेण्डर फार्म का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के नाम से मान्य होगा।
- 2-जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक हो मान्य होगी।
- 3-निविदा तिथि से पूर्व पालिका का बकायादार न होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
- 4-हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा एक वर्ष पूर्व तक का जारी हो लगाना आवश्यक है।

**(ब)-वित्तीय लिफाफा-1-टेण्डर फार्म**

उपरोक्तानुसार दोनो लिफाफे तैयार कर एक लिफाफे में पंजीकृत डाक से भेजना होगा की निविदा ही मान्य होगी। शेष नियम व शर्तें निम्न प्रकार भी प्रभावी रहेंगी:-

1. निविदा की न्यूनतम धनराशि वर्ष 2019-20 में स्वीकृत निविदा के सापेक्ष कम व अधिक जो भी अधिक निविदा धनराशि प्राप्त होगी को स्वीकार कर ली जायेगी।
2. सर्वोच्च निविदा ही स्वीकार की जायेगी।
3. जिस निविदादाता के नाम निविदा स्वीकृत होगी को पालिका की मांग के अनुसार निविदा धनराशि का 1/4 धनराशि जमा करनी होगी। उसके पश्चात ही वसूली आदेश निर्गत किया जायेगा।
4. यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा पालिका मांग अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय निविदादाता को अवसर प्रदान किया जायेगा तब कि द्वितीय निविदादाता की जमानत आरक्षित रखी जायेगी।
5. सशर्त निविदा मान्य न होगा।
6. निविदादाता को पार्किंग शुल्क/तहबजारी शुल्क उपविधि एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
7. पार्किंग स्थलों एवं अन्य शुल्कों पर बिना आदेश के किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
8. अनुबन्ध करते समय तीन रिक्त चैक(ब्लैंक चैक) देने आवश्यक है।
9. जिसके नाम निविदा स्वीकृत होगी को निविदा की धनराशि का 2 प्रतिशत के स्टाम्प प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
11. उपरोक्त निविदाओं के लिए जिन निविदादाताओं द्वारा दिनांक-24.6.2020 को निविदा डाली गई है यदि पुनः निविदा में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें निविदा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। निविदा खोलते समय केवल निविदादाता ही सोसियल डिस्टेंसिंग मानक का अनुपालन करते हुए उपस्थित रह सकता है।

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर।

संख्या-783 /5-उपनियम/2019-20/दिनांक-15 जून 2020

प्रतिलिपि-1-संवाददाता.....

दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना को न्यूनतम दर पर प्रकाशित करवाकर प्रकाशित सूचनामय बिल सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1. पालिका सूचना पट्ट।

2. जिलाधिकारी चमोली।

3. एन0आई0सी0 जनपद चमोली को इस निवेदन के साथ कि उपरोक्त सूचना के साथ संलग्न निविदा प्रपत्र नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अन्तर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद,

चमोली-गोपेश्वर।